

प्रेषक्.

नारेश्वर नाथ उपाध्याय,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, (नाम से)  
उ०प्र० शासन।
2. समस्त विभागध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2

दिनांक 16 अक्टूबर, 2008

**विषय:** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जनसूचना अधिकारियों हेतु मार्ग निर्देशिका।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से निर्गत शासनादेश संख्या-भा०स०-१६+४३-२-२००८ पत्रावली संख्या-15/2(7)/07, दिनांक 14 जुलाई, 2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझ यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश द्वारा जारी मार्ग निर्देशिका के बिन्दु संख्या-26 में जनसूचना अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि सूचना देने वाले जन सूचनाधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-8 अथवा 9 में निहित प्राविधानों के अनुसार यदि सूचना के लिए आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध को सूचना प्रकटीकरण से छूट के अन्तर्गत नामंजूर किया गया है तो ऐसी स्थिति में जनसूचना अधिकारी का यह विधिक दायित्व है कि वह आवेदक की सुविधा के लिए अधिनियम की धारा-7(8) के अन्तर्गत निम्नलिखित जानकारी दें :-

- (i) अस्वीकृति के कारण,
- (ii) अवधि जिसमें अस्वीकृति के विरुद्ध अपील दायर की जा सके, और
- (iii) उस प्राधिकारी का व्यौरा जिससे अपील की जा सकती है।

3. जनसूचना अधिकारियों द्वारा सूचनायें देते समय उक्त विधिक प्राविधान का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिससे नागरिकों द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी की जानकारी के अभाव में सूचना का अधिकार अधिनियम, 05 की धारा-18 के अंतर्गत सूचनायें प्राप्त न होने की शिकायत सीधे उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में दर्ज करायी जा रही है। इससे जहाँ एक ओर उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के कार्या में अनावश्यक वृद्धि हो रही है, वहीं नागरिकों को भी अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।